न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहितR.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या –28/2013

वादीगण :–

1. भीरमराम पुत्र गणेशराम
2. राजू पुत्र गणेशराम

जातियान जाट निवासी कूड तहसील
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

सरकार जरिये तहसीलदार,
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री बक्तावर सिंह जाखड़ वादीगण की ओर से
तहसीलदार पीपाड़ शहर

निर्णय दिनांक 31.03.2021

वादीगण के एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर. एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कूड तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा मे स्थित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
16	220	2.9448 हैक्टयर	बा. प्रथम
	220/1	0.0485 हैक्टयर	गै.मु.रास्ता
	221	1.2054 हैक्टयर	बा. प्रथम
	221/1	0.0243 हैक्टयर	गै.मु.रास्ता
	224	2.7021 हैक्टयर	बा. द्वितीय
	224/1	0.0162 हैक्टयर	गै.मु.रास्ता
	263/2	0.4450 हैक्टयर	बा. द्वितीय
	478	0.6229 हैक्टयर	बा. तृतीय
	479	0.7443 हैक्टयर	बा. तृतीय
	कुल खसरा 9	कुल रकबा 8.7535 हैक्टयर	

उपरोक्त वर्णित आराजी को आगे वादपत्र मे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी कब्जासुद जमीन है जिस पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। वादीगण भीरमराम को बोलचाल भाषा मे बाल्यावस्था मे किरताराम नाम से पुकारा जाता था तथा राजू को बाल्यावस्था मे बोलचाल की भाषा मे विशानाराम नाम से पुकारा जाता था इसलिए वादीगण के पिता स्व. गणेशराम के देहान्त पश्चात वादीगण का नाम किरताराम व किशनाराम इन्द्राज कर दिया जबकि किरताराम का सही नाम भीरमराम है तथा विशनाराम का सही नाम राजू है। इस प्रकार वादी भीरमराम वादग्रस्त आराजी मे किरताराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर 1/12 वां हिस्सा का खातेदार घोषित होने का हकदार है तथा विशनाराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर राजू पुत्र

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

गणेशराम 1/12 वां हिस्सा के खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। जिसके लिए वादीगण को उक्त वादपत्र घोषणा खातेदारी व रेकार्ड दुरूस्ती का पेश करना पड रहा है। वादी भीरमराम व राजू के नाम आधार कार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज, ग्राम पंचायत कूड का प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, जनआधार कार्ड आदि बने हुए है। भीरमराम को बाल्यावस्था मे बोलचाल की भाषा मे किरताराम व राजू को बाल्यावस्था मे बोलचाल की भाषा मे विशनाराम नाम से पुकारा जाता था इसलिए राजस्व रेकार्ड मे भीरमराम के स्थान पर किरताराम व राजू के स्थान पर विशनाराम गलत रूप से इन्द्राज हो गये जिसको दुरूस्त करवाकर वादीगण 1/12 : 1/12 वां हिस्सा के खातेदार घोषित होकर दुरूस्ती करवाने का हकदार है। वादीगण ने दिनांक 05.07.2020 को किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क कर राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त करने हेतु गया इस पर हल्का पटवारी ने वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से इन्द्राज होने की जानकारी दी तथा वादीगण के नाम दुरूस्त करवाने हेतु कहां इस पर वादीगण ने प्रतिवादी के समक्ष आवेदन कर किरताराम के स्थान पर भीरमराम व विशनाराम के स्थान पर राजू दुरूस्त करने हेतु कहा इस पर प्रतिवादी ने उक्त दुरूस्ती न्यायालय हाजा मे वाद पेश कर करवाने का कहा इसलिए वादीगण को उक्त अनवान वादपत्र पेश करना पड रहा है तथा वाद कारण पैदा हुआ। इस्तदुआ वादीगण इस प्रकार है कि – वादीगण के हक एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद डिक्री फरमाया जाकर ग्राम कूड की राजस्व सीमा मे स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 220,220/1,221,221/1,224,224/1,263/2,478,479 कुल खसरा 9 कुल रकबा 8.7535 हैक्टयर मे किरताराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर वादी भीरमराम पुत्र गणेशराम 1/12 वां हिस्सा का खातेदार घोषित फरमावे तथा विशनाराम पुत्र गणेशराम के स्थान पर वादी राजू पुत्र गणेशराम 1/12 वां हिस्सा का खातेदार घोषित फरमावे व राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश फरमावे। अन्य अनुतोष जो हित वादी हो वादीगण के हक मे अता फरमावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दो भाई भीरमराम व राजु है हमारे पिता के मृत्यु उपरान्त नाम राजस्व अभिलेख में 388 द्वारा दर्ज हुआ है । वादीगण भीरमराम को बोलचाल की भाषा में किरताराम व राजु को विश्नाराम कहा जाता था । जो बोलचाल के भाषा के नाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दिया है । भीरमराम ने अपने समर्थन में सरपंच ग्राम पंचायत कूड़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, अंकतालिका, आधारकार्ड, बैक डायरी की फोटो प्रति प्रस्तुत की है । इसी तरह राजु ने अपने नाम के समर्थन में सरपंच कूड़ का प्रमाण पत्र शपथ पत्र, अंकतालिका, परिचय पत्र, आधारकार्ड,प्रस्तुत किया है । सरपंच ग्राम पंचायत कूड़ ने अपने प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट लिखा है कि भीरमराम पुत्र गुणेशराम एवं किरताराम एक ही व्यक्ति है एवं राजु पुत्र गुणेशराम एवं विश्नाराम पुत्र गुणेशराम एक ही व्यक्ति है । भीरमराम व राजु सही नाम है । किरताराम एवं विश्नाराम गलत नाम है ।

हमने बहस पक्षकारान सुनी, वकील वादी ने अपनी बहस में राजस्व वाद के बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कूड़ के खसरा नम्बर 220,220/1,221,221/1,224,224/1,263/2,478,479 में दर्ज नाम किरताराम पुत्र गुणेशराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

के स्थान पर भीरमराम पुत्र गुणेशराम व विश्नाराम पुत्र गुणेशराम के स्थान पर राजु पुत्र गुणेशराम किये जाने का निवेदन किया है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा बहस पक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम कूड़ के खसरा नम्बर 220,220/1,221,221/1,224,224/1,263/2,478,479 में दर्ज नाम किरताराम पुत्र गुणेशराम के स्थान पर भीरमराम पुत्र गुणेशराम व विश्नाराम पुत्र गुणेशराम के स्थान राजु पुत्र गुणेशराम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करावें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक **31.03.2021** को कोर्ट में लिखवाया जाकर मजमेआम सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर